



# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21. 1860 )


क्रमांक 841

वर्ष 2010-2011

में इसके द्वारा प्रमाणित किया कि भारवाडी सम्मेलन, फरिया



संघ के निबन्धन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।



*[Signature]*  
PRINCIPAL  
Balika Vidya Mandir  
JHARIA (Dhanbad)

*[Signature]*  
वार्ड, महानिरीयक, निबन्धन, धारखण्ड, रांची।

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
Balika Vidya Mandir  
JHARIA (Dhanbad)



U/s 8 (1) (a) of Societies Act  
1952 (Act No 53 of 1952)

पत्रिका 1 / 17-12-10

निबंधन महाविद्यालय का कार्यालय  
झारखण्ड, राँची।

महाराष्ट्री लखनऊ मरिज

12-10-10 राँची, दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिनियम 21, 1800 के प्रावधानों के अनुसार आज गिनाधिकार दरसायेज रासका रूप दाखिल/नियमित/अभिलिखित किया गया है।

1. निबंधन शुल्क 50/- रु० मात्र।
2. आज सभा का प्रस्ताव।
3. समृति-पत्र।
4. नियमावली।

ATTESTE 19/10

पारसी, निबंधन महाविद्यालय  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में अध्यक्ष/सचिव


महाराष्ट्री लखनऊ मरिज

श्री. निबंधन महाविद्यालय

रा. मरिज - राँची

जिला - झारखण्ड

आपके पत्र के आलोक में सचिवालय प्रमाण-पत्र संलग्न है।  
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।



PRINCIPAL  
Balika Vidya Mandir  
JHARIA (Dhanbad)

Handwritten signature

Handwritten signature

पारसी, निबंधन महाविद्यालय  
झारखण्ड, राँची।

Supla Banerjee  
PRINCIPAL  
Balika Vidya Mandir  
JHARIA (Dhanbad)

